



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

कोच्चि KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥/39/14/2018 -रा.भा.

तारीख/Date: 🚜 🗞 2020

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, All the members of the O L I C, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin-18.

कोचिन-18

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.01.2020 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 20.01.2020.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.01.2020 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 20.01.2020. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीया/Yours faithfully,

(राजेश्वरी आर. नायर/Rajeswari R.Nair)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

Page 1 of 2

प्रतिलिपि /Copy to:

- 1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली। The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
- 2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.

- 3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
- 4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING



आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.01.2020 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 20.01.2020

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति की तिमाही बैठक दिनांक 20.01.2020 को अपराहन 03.00 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 20.01.2020 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कु.) Name of the Officer(S/Shri/Smt/Ku.)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	राजेश्वरी आर. नायर	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]	मुख्यालय
	Rajeswari R.Nair	Joint Commissioner[P&V]	Hgrs.
2	सुरेश बाबु पी. जी.	सहायक आयुक्त	निवारक, का. व सत., मृ.
	Suresh Babu P.G.	Assistant Commissioner	Prev.,P&V Hqrs.
3	जिम्मी जोसफ	सहायक आयुक्त	मु.ले अधिकारी / लेखा
	Jimmi Joseph	Assistant Commissioner	परीक्षा/CAO/AUDIT
4	उमा देवी बी.	सहायक आयुक्त	समीक्षा
	Uma Devi B.	Assistant Commissioner	Review

5	शालिनी सुष्मिता	सहायक आयुक्त	आलुवा मंडल
	Shalini Sushmita	Assistant Commissioner	Aluva Dvsn.
6	जयकान्त सी वी	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	एणीकुलम मंडल
	Jayakant C.V.		Ekm Dvsn
7	बिजु पॉल	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर व इडुक्की मंडल
	Biju Paul		Perumbavoor & Idukki Dvsns
8	अंजना एस. कुमार	सहायक आयुक्त	काक्कनाड मंडल
	Anjana S.Kumar	Assistant Commissioner	Kakkanad Dvsn.
9	एस.ए.मधु	जसं संपर्क अधिकारी, अधीक्षक	मुख्यालय
	S.A.Madhu	PRO,Supdt.	Hqrs.
10	के.एम.बिनु	जन संपर्क अधिकारी, अधीक्षक	मु.आ.का/CCO
	K.M.Binu	PRO,Supdt.	
11	टैनस मताई	अधीक्षक	निवारक,मु.
	Tainus Mathai	Superintendent	Preventive, Hqrs.
12	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत	वरिष्ठ अनुवादक	मुख्यालय
	Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	Senior Translator	Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की। The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

- I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.
- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है | Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में 41 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 41 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section

b. विभागीय पत्रिका "केरली / Departmental magazine "Kairali-2018-19".

समिति को सूचित किया गया कि कैरली पत्रिका इस महीने में प्रकाशित की जाएगी | अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने पत्रिका के लिए लेख, चित्र इत्यादि का योगदान किया, उन्हें उनके एपीएआर में इस तरह के योगदानों के लिए उचित महत्त्व देकर उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा |

The Committee was informed that Kairali magazine will be published this month. The Chairman directed that officers who contributed articles, pictures etc for the magazine will be appreciated in their APARs by their supervisory officers by giving due weightage for such contributions.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई ।

वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2019 जुलाई/अगस्त/सितम्बर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 43.1% वर्तमान तिमाही(2019 अक्तूबर/नवंबर/दिसंबर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 43.8%

यथाक्रम दिनांक 30.09.2019,31.12.2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -54.08%-52.17%,ख-पत्रों की संख्या -शून्य-100%, ग -51.6%-50.25%।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows:-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(July, August, September, 2019) - 43.1% Percentage of Hindi noting in current quarter(October, November, December, 2019) - 43.8% A-54.08%-52.17%,B-no. of letters-nil-100%, C-51.6%-50.25% for the quarters ending on 30.09.2019,31.12.2019 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया |

The Chairman directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. आयुक्तालय के नाम पट्ट त्रिभाषी रूप [इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड] में बनाना / Commissionerate's name board in trilingual form [electronic board]

जन संपर्क अधिकारी,अधीक्षक ने समिति को आश्वासन दिया कि इस तिमाही में आयुक्तालय के नाम पट्ट त्रिभाषी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बनाया जाएगा |

The PRO Supdt assured the committee that Commissionerate's name board will be made in trilingual electronic board in this quarter.

कार्रवाई:जन संपर्क अधिकारी, अधीक्षक /मंडल Action: PRO Supdt

b. जी.एस.टी. मूल आदेश की प्रस्तावना द्विभाषी रूप में बनाना | Preamble to Order in Original regarding G.S.T. may be made and issued in bilingual form.

अध्यक्ष महोदय ने तकनीकी अनुभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त को यह आदेश दिया कि जी.एस.टी. मूल आदेश की प्रस्तावना अंग्रेज़ी में बनाकर जल्द से जल्द राजभाषा अनुभाग को दें ताकि उसका द्विभाषी रूपांतर बनाया जा सके | The Chairman directed the Assistant Commissioner in charge of the TRechnical Section to give the preamble to order in original related to GST to OL Section as soon as possible so that the bilingual version of the same can be made.

कार्रवाई:तकनीकी, राजभाषा अनुभाग Action: Technical, OL Sections

c. राजभाषा वभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी अनुभागों व मंडलों में राजभाषा निरीक्षण / OL Inspection as per Annual Programme issued by the OL Department, Ministry of Home Affairs.

अध्यक्ष महोदय ने विरष्ठ आनुवादक को यह निदेश दिया कि राजभाषा वभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार फेब्रुअरी महीने में सभी अनुभागों का तथा मार्च महीने में सभी मंडलों का राजभाषा कार्यान्वयन पर निरीक्षण करें |

The Chairman directed the Senior Translator to inspect all the sections in the month of February and all the divisions in the month of March on Official Language implementation as per Annual Programme issued by the OL Department, Ministry of Home Affairs.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग / Action: OL Hindi Section

d. राजभाषा नीति पर कार्यशाला | / Workshop on Official Language Policy

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा नीति पर एक कार्यशाला इस तिमाही के दौरान आयोजित की जाएगी।

The Committee was informed that a workshop on Official Language Policy will be conducted during this quarter.

कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी /प्रशिक्षण अनुभाग/ Action: OL Hindi, EDP, Training Sections

e. हिन्दी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीदी व भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक की खरीदी | / Purchase of Books for the Hindi Library as per Annual Programme and purchase of book on Standard Terminology published by BIS.

अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित पुस्तकें हिंदी पुस्तकालय के लिए खरीदी जाएँ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक भी खरीदी जाएँ |

The Chairman directed to purchase those Books which are selected for Gyaapeeth Award, Kendriya Sahitya Academy Award etc for the Hindi Library and the book on Standard Terminology published by BIS.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / Action: OL Hindi Section

f. तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के लिए राजभाषा सहायिका का प्रकाशन।
Publication of Rajbhasha Sahayika for Thiruvananthapuram Zone.

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि इस तिमाही के दौरान तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के लिए एक राजभाषा सहायिका प्रकाशित की जाए। The Chairman directed that a Rajbhasha Sahayika for Thiruvananthapuram Zone may be published during this quarter.

कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी / जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक/ Action: OL Hindi, EDP, PRO, Caretaker Unit

g. समय पर राजभाषा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना | Submission of Official Language Monthly report on time.

हिंदी अनुवादक ने समिति के सभी सदस्यों से दरख्वास्त की कि अपने अपने अनुभाग विभाग की राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर ही प्रस्तुत करने की कृपा करें । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि सभी सदस्यों दवारा इसे सख्ती से पालन किया जाएं ।

The Hindi Translator requested all members to kindly submit the Official Language Monthly report on time. The Chairman told that all members should follow it strictly.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

सदस्यों से कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराहन 04.00 बजे समाप्त हुई ।

As no suggestion came from the members the meeting ended at 04.00 pm with vote of thanks to the Chair.

(राजेश्वरी आर. नायर / Rajeswari R.Nair)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/JOINT COMMISSIONER(P&V)

2142 121